an>

Title: Need to include the Scheduled Tribes of Chhattisgarh in the Union list.

श्री विक्रम उसेंडी (कांकेर): महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान) छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति में 42 जातियां अधिसूचित हैं। इनमें से लगभग 20 से ज्यादा जातियों में मात्रा, वर्तनी, उच्चारण संबंधी त्रुटि होने के कारण उक्त जाति के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है तथा वे पात्रता रखने के उपरान्त भी अपने संवैधानिक हक से वंचित हो जाते हैं। ...(व्यवधान) यह एक विडंबना है कि जो व्यक्ति जन्म से आदिवासी है, उसे मात्रा में त्रुटि अथवा पूर्व में राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों के द्वारा की गई त्रुटि के कारण जाति संबंधित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पहा है। ...(व्यवधान) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विगत लंबे समय से राज्य में निवासरत पठारी, पारधी, परहिया, सौंरा, सवरा, सकरा, भुईया, भुया, भयया तथा भिंया, बिंझिया, धनुहार, धनुवार, रौतिया, सबरिया, खेरवार, खरवार, किसान, नगेसिया एवं पूधान, परगनिहा और अमनित को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने की अनुशंसा केन्द्र सरकार को भेजी गई है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ...(व्यवधान) शीघ्र ही इस पर कार्रवाई कर इन जातियों को केन्द्रीय सूची में शामिल कर राज्य सरकार को अवगत कराया जाए, जिससे इस जाति के लोगों को उनका संवैधानिक हक मिल सके और वे लाभान्वित हो सकें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, इन बीस जातियों के लोगों का न प्रमाण पत्र बन पा रहा है और न उनको संवैधानिक हक मिल पा रहा है, जिसके चलते इस वर्ग के लोग आक्रोशित हैं। राज्य सरकार के माध्यम से और जनजाति आयोग के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया है, उस पर तत्काल निराकरण करते हुए इन वर्ग के लोगों को संवैधानिक हक दिया जाए। ...(व्यवधान) इससे आय, जाति, निवास के साथ-साथ इनके बच्चों को पढ़ाई और अन्य संवैधानिक अधिकारों का हक मिलेगा। ...(व्यवधान)

महोदया, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान)